10रु. कोर्ट फ़ी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फ़ी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

154

न्यायालय श्रीमान ~~अनुविभागीय~~ ~~अधिकारी~~ महोदय जिला सीहोर म. प्र.

1966-II/12

वरकतशाह आयु लगभग 70 वर्ष आ. श्री हुसेनशाह जाति मुसलमान निवासी ग्राम रेंहटी कृषक ग्राम रमपुरा चकल्दी तहसील रेंहटी जिला सीहोर म. प्र. ------------------------आवेदक / निगरानी कर्ता

विरुद्ध

चांदशाह आयु लगभग 3 वर्ष आ. श्री कुदरतशाह जाति मुसलमान निवासी ग्राम रमपुरा चकल्दी तहसील रेंहटी जिला सीहोर --- उत्तरदाता

आवेदन अर्न्तगत धारा 52 एंव सहपठित धारा 50 म. प्र. भू रा.संहिता

आवेदक की और से निम्न निवेदन है कि :-

1. यहकि आवेदक द्वारामाननीय आधिनस्थ्य न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय रेंहटी के सीमांकन प्रकरण कृमांक 2/अ12/11-12 सीमांकन पुष्ठि आदेश दिनांक 19/11/11 के विरुद्ध एक निगरानी याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है जिसमे उसे सफल होने की पूर्ण आशा है ।
2. यहकि माननीय आध्निस्थ्य न्यायालय ने उक्त सीमांकन प्रकरण मे संहिता के वंधनकारी प्रावधानों की घोर अनदेखी करते हुऐ उक्त सीमांकन प्रकरण तैयार कर सीमांकन दिनांक 19/11/11 की पुष्ठि की है जो प्रकरण मे प्रथम दृष्टया ही अवलोकनीय है विषेशतः सीमांकन के सूचनापत्र प्रथम दृष्टया ही अवलोकनीय है जिसमे आवेदक वरकतसाह के नाम के आगे किसी और के हस्ताक्षर कराये गये है यानि आवेदक को सीमांकन की सूचना नही दी गयी ।
3. यहकि सूचनापत्र किस कार्यालय से जारी किये गये औश्र कव जारी किये गये और किसके द्वारा तामील करायी गई न तो कोई टीप अकित है और न ही तामीली कर्ता के हस्ताक्षर हैं और न ही नाम है यह भी अंकित नही है कि सूचनापत्र किस दिनांक को तामील कराये गये है इस प्रकार की कार्यवाही विधि मे मान्य नही है ।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R. 1966 एवं 1967/11/12 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	बरकत शाह वि० (1) चाँदशाह एवं (2) जाकिर शाह कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-3-16	यह निगरानी तह० के सीमांकन प्रकमांक- 2 एवं 3/अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 19-11-11 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में आवेदक अधि० श्री नरेन्द्र सिंह राजपूत एवं अना० अधि० श्री गुलाब सिंह उ.प०। उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा अभिलेख के आधार पर निर्णय लेने का निवेदन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्कों के संदर्भ में निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि निगरानी सीमांकन आदेश दिनांक 19-11-11 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है और निगरानी मेमो में सहायता संहिता की धारा 250 के प्रकरण में चाही गई है किन्तु 250 का कौन सा प्रकरण में किस आदेश के क्रम में सहायता चाही गई है स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार प्रस्तुत निगरानी एवं चाही गई सहायता में एक रूपता नहीं है वहीं प्रस्तुत निगरानी संहिता में निहित उचित प्रक्रिया एवं निर्धारित नियमों के अनुरूप प्रस्तुत न होने से विचार योग्य नहीं है। अतः प्रस्तुत निगरानी विहित प्रक्रिया एवं नियमों के विपरीत होने से बिना किसी	

R. 1966 एवं 1967/11/12 सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	बलवंत सिंह बनाम [illegible] (2) [illegible]	

तात्विक परिणाम के इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। यदि आवेदक चाहे तो सादर रूप से नियम में विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए आक्षेपित आदेश एवं संबंधित मूल अभिलेख के साथ चाही गई सहायता के संबंध में पृथक से दूसरी निगरानी/अपील जो विहित हो प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

प्रस्तुत निगरानी विहित प्रक्रिया के विपरीत प्रस्तुत होने से इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। यह आदेश निगरानी क्र० 1966 एवं 1967/11/12 दोनों पर लागू होगा। पक्षकार सूचित हो। प्र० दा०रि० हो।

(सदस्य)

शासकीय मुद्रणालय—355—फॉर्म I—3-2-16—30,000 प्रपत्र.